न्यायालय सहायक कलक्टर (ACEM), नाथद्वारा, जिला–राजसमंद

(पीठासीन अधिकारी :– रक्षा पारिक, R.A.S.)

प्रकरण संख्याः– 2023/50 राजस्व वाद दिनांक– 10.09.2025

अनवान

(विस्तृत अनवान पीछे दर्ज है)

1. माला पिता सवा जी जाति गाडरी आयु 80 वर्ष निवासी कांमा तहसील नाथद्वारा हाल तहसील खमनोर जिला राजसमंद।

..... वादी

बनाम

1. देवा पिता कुशाल जी जाति भील आयु वयस्क निवासी कांमा तहसील नाथद्वारा हाल तहसील खमनोर जिला राजसमंद।

..... प्रतिवादीगण

वाद घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा
प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी

उपस्थितः– श्री सुभाष गाडरी, अधिवक्ता (वादीगण)।

श्री गणपत कोठारी, (अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 लगायत् 3, 5,6,7 व 11)

–: आदेश :–

दिनांकः–10.09.2025

प्रतिवादी संख्या 1 लगायत् 3, 5,6,7 व 11 की ओर से प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. पेश किया गया जिसका इस आदेश के माध्यम से निस्तारण किया जा रहा है।

प्रतिवादी संख्या 1 लगायत् 3, 5,6,7 व 11 की ओर से प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. पेश निवेदन किया कि उक्त वाद विधि द्वारा वर्जित होने से आप न्यायालय के चलने योग्य नहीं है एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम कि धारा 42 के अनुसार भी वादीगण, प्रतिवादीगण के विरूद्व किसी प्रकार का अनुतोष पाने के अधिकारी नहीं होने से भी वाद खारिज योग्य है।

अतः श्रीमान् से निवदेन है कि उक्त वाद विधि द्वारा वर्जित होने से खारिज फरमाया जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का वादीगण की ओर से जवाब पेश कर निवेदन किया गया कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 01 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 02 स्वीकार नहीं है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 03 स्वीकार नहीं है वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद में अंकित तथ्यों के आधार पर धारा 42 लागू नहीं होगी और वादीगण का वाद आप न्यायालय के क्षैत्राधिकार में होकर गवाह–बयान एवं दस्तावेज के आधार पर निर्णय दिया जाना उचित है।

अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

अधिवक्ता पक्षकारान् की बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादी के प्रार्थना पत्र का खण्डन किया जाकर निवेदन किया कि वादी द्वारा विक्रय पत्र के आधार पर घोषणा का दावा प्रस्तुत किया है, जिसका निस्तारण प्रार्थना पत्र अंतर्गत 07 नियम 11 सी पी सी के तहत नहीं किया जाकर, दस्तावेजी साक्ष्य के पश्चात् किया जाए। प्रतिवादी अधिवक्ता ने वादी के कथनों का विरोध करते हुए कहा कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद विक्रय पत्र के आधार पर नहीं होकर आवंटन से संबंधित है, जिसका श्रवणाधिकार जिला कलक्टर महोदय, राजसमंद को है, इसलिए वादी का वाद विधि द्वारा वर्जित होने से खारिज फरमाया जावे। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा अपने प्रार्थना

सहायक कलक्टर
नाथद्वारा, जिला–राजसमन्द

पत्र के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किए गए। अधिवक्ता पक्षकारान् की बहस पर चिंतन एवं मनन किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष के परपस्पर विरोधी तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र एवं जमाबंदी का अवलोकन किया गया तो जाहिर आया कि वादग्रस्त कृषि भूमियां प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है जो अनुसूचित जनजाति वर्ग के है तथा वादी ने उक्त वादग्रस्त कृषि भूमियों को प्रतिकूल कब्जे के आधार एवं आपसी लिखा–पढी के आधार पर अपने नाम दर्ज कराना चाहा है। उक्त वादग्रस्त कृषि भूमियां प्रतिवादीगण की आंवटनशुदा भूमियां है। प्रतिवादीगण की आरे से अपने प्रार्थना पत्र की ताईद में न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किए गए, जिनका ससम्मान अध्ययन किया गया। न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया गया तो जाहिर आया कि प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत 2012(2) **RRT 1179** माननीय उच्च न्यायालय (जयपुर बेन्च) के अनुसार– राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955– धारा 42(बी)– सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908–आदेश 07, नियम 11– अनु.जाति के व्यक्ति की भूमि का विक्रय धारा 42 के अंतर्गत वर्जित है तथा विक्रय पत्र शून्य है,–संविदा की विनिर्दिष्ट पालना हेतु भी वाद पोषणीय नहीं है क्योंकि यह विधि वर्जित है। वाद पत्र खारिज किया गया। **RRD 1996 Page No-75 RRD 1990 Page No-212** का भी ससम्मान अध्ययन किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 का भी अवलोकन किया गया। समस्त दस्तावेजों, न्यायिक दृष्टांतों एवं धारा 42 के अवलोकन के पश्चात् आदेश 07 नियम 11 सी पी सी का अवलोकन किया गया।

आदेश 07 नियम 11 जा.दी. में वाद पत्र का नामंजूर किया जाना निम्नलिखित दशाओं में होता है:–

1. जहां वाद हेतुक प्रकट नहीं होता है।
2. जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिये न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय में नियत किया है ऐसा करने में असफल रहता है।
3. जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वादपत्र अपर्याप्त स्टाम्प पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प पत्र के देने में न्यायालय द्वारा अपेक्षित समय के भीतर ऐसा करने में असफल रहता है।
4. जहां वाद पत्र के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है।
5. जहां दो प्रतियों में फाईल नहीं किया जाता है।
6. जहां वादी नियम 9 के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहता है।

समग्र दस्तावेजों के अवलोकन से जाहिर आया कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद विधि द्वारा वर्जित होने से अस्वीकार होकर खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः आदेश सुनाया जाता है।

–: आदेश :–

परिणामतः प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 सी पी सी का स्वीकार किया जाता है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत् घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा राजस्व ग्राम कांमा, पटवार हल्का फतहपुर, तहसील नाथद्वारा हाल तहसील खमनोर, जिला राजसमंद के वादग्रस्त आराजीयात् खाता संख्या नया 392 पुराना 380 में स्थित आराजीयात् खसरा संख्या 1860/448 कुल किता 01 कुल रकबा 6–16 छः बीघा सोलह बिस्वा के संबंध में विधि द्वारा वर्जित होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो/नबंर से कम होकर/ दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 10.09.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रक्षा पारिक, **RAS**)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट नाथद्वारा
सहायक कलक्टर
नाथद्वारा, जिला-राजसमन्द

संख्याक नं. 1

मूल वाद में डिक्री (आदेश 20 नियम 6 व 7)

(Civil Procedure Code Appendix D)

न्यायालय सहायक कलक्टर (ACEM), नाथद्वारा, जिला–राजसमंद

पीठासीन अधिकारी :–श्रीमति रक्षा पारिक,**R.A.S.**

प्रकरण संख्याः– 2023/50 राजस्व वाद

अनवान

1. माला पिता सवा जी जाति गाडरी आयु 80 वर्ष निवासी कांमा तहसील नाथद्वारा हाल तहसील खमनोर जिला राजसमंद।

..... वादी

बनाम

1. देवा पिता कुशाल जी जाति भील आयु वयस्क निवासी कांमा तहसील नाथद्वारा हाल तहसील खमनोर जिला राजसमंद।

..... प्रतिवादीगण

<u>वाद घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा</u>
<u>प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी</u>

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू मेरे हाजरी वादीया मय अधिवक्ता श्री सुभाष गाडरी एड. मिनजानिब मुदई व अधिवक्ता श्री गणपत कोठारी मुहायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है किः–

प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 सी पी सी का स्वीकार किया जाता है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत् घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा राजस्व ग्राम कामां, पटवार हल्का फतहपुर, तहसील नाथद्वारा हाल तहसील खमनोर, जिला राजसमंद के वादग्रस्त आराजीयात् खाता संख्या नया 392 पुराना 380 में स्थित आराजीयात् खसरा संख्या 1860/448 कुल किता 01 कुल रकबा 6–16 छः बीघा सोलह बिस्वा के संबंध में <u>विधि द्वारा वर्जित</u> होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

नीज.....–..... मुबलिज –.....–..... बाबत् –.....–... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शहर –..... –....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक –....–... को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 10.09.2025 को खुले न्यायालय में जारी की गई।

(रक्षा पारिक, **RAS**)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
नाथद्वारा

सहायक कलक्टर
नाथद्वारा, जिला-राजसमन्द

मुदई	रूपया पैसा	मुदयलह	रूपया पैसा
स्टाम्प अर्जीनामा		स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा		स्टाम्प हाजरी	
स्टाम्प वजह सबूत		मेहनताना वकील पर	
मेहनताना वकील		खर्चा गवाहान्	
खर्चा गवाहान्		फीस कमिश्नर	
फीस कमिश्नर		बबत् इजराय हुक्मनामा	
बबत् इजराय हुक्मनामा		मुतफरिक	
मुतफरिक			
मिलान		मिलान	

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करने चाहिए।

(रक्षा पारिक, **RAS**)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
नाथद्वारा

सहायक कलक्टर
नाथद्वारा, जिला-राजसमन्द

न्यायालय सहायक कलक्टर (ACEM), नाथद्वारा, जिला–राजसमंद

(पीठासीन अधिकारी :– रक्षा पारिक, R.A.S.)

प्रकरण संख्याः– 2023/50 राजस्व वाद

दिनांक– 10.09.2025

विस्तृत अनवान

1. माला पिता सवा जी जाति गाडरी आयु 80 वर्ष निवासी कांमा तहसील नाथद्वारा हाल तहसील खमनोर जिला राजसमंद।
2. गणेश पिता सवा जी जाति गाडरी आयु 62 वर्ष निवासी कांमा तहसील नाथद्वारा हाल तहसील खमनोर जिला राजसमंद।
3. देवा पिता भेरा जी जाति गाडरी आयु 50 वर्ष निवासी कांमा तहसील नाथद्वारा हाल तहसील खमनोर जिला राजसमंद।
4. भूरा पिता भेरा जी जाति गाडरी आयु 35 वर्ष निवासी कांमा तहसील नाथद्वारा हाल तहसील खमनोर जिला राजसमंद।
5. मांगीलाल पिता भेरा जी जाति गाडरी आयु 35 वर्ष निवासी कांमा तहसील नाथद्वारा हाल तहसील खमनोर जिला राजसमंद।
6. वेणा पिता मोडा जी जाति गाडरी आयु 62 वर्ष निवासी कांमा तहसील नाथद्वारा हाल तहसील खमनोर जिला राजसमंद।
7. खीमा पिता कालू जी जाति गाडरी आयु 45 वर्ष निवासी कांमा तहसील नाथद्वारा हाल तहसील खमनोर जिला राजसमंद।
8. उदा पिता भोला जी जाति गाडरी आयु 6 वर्ष नाबालिग जरिये प्राकृतकि संरक्षक माता श्रीमति लक्ष्मी पत्नि भोला जी निवासी कांमा तहसील नाथद्वारा हाल तहसील खमनोर जिला राजसमंद।
9. लक्ष्मी पत्नि सवा जी जाति गाडरी आयु 40 वर्ष निवासी कांमा तहसील नाथद्वारा हाल तहसील खमनोर जिला राजसमंद।

..... वादीगण

बनाम

1. देवा पिता कुशाल जी जाति भील आयु वयस्क निवासी कांमा
2. कालीया पिता कुशाल जी जाति भील आयु वयस्क निवासी कांमा
3. उदा पिता कुशाल जी जाति भील आयु वयस्क निवासी कांमा
4. उमला पिता कुशाल जी जाति भील आयु वयस्क निवासी कांमा
5. भमरीया पिता कुशाल जी जाति भील आयु वयस्क निवासी कांमा
6. किशन पिता वेणा जी जाति भील आयु वयस्क निवासी कांमा
7. दाखू पत्नि वेणा जी जाति भील आयु वयस्क निवासी कांमा
8. मांगीलाल पिता नारीया जी जाति भील आयु वयस्क निवासी कांमा
9. खूमाण पिता नारीया जी जाति भील आयु वयस्क निवासी कांमा
10. पप्पू पिता नारीया जी जाति भील आयु वयस्क निवासी कांमा
11. अणछी पत्नि नारीया जी जाति भील आयु वयस्क निवासी कांमा सभी तहसील नाथद्वारा हाल तहसील खमनोर जिला राजसमंद।
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब नाथद्वारा हाल तहसील खमनोर जिला राजसमंद
13. पटवारी हल्का फतहपुर तहसील नाथद्वारा हाल तहसील खमनोर जिला राजसमंद

..... प्रतिवादीगण

(रक्षा पारिक, **RAS**)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
नाथद्वारा

सहायक कलक्टर
नाथद्वारा, जिला-राजसमन्द